F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.: 351 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 351

विषय / Sub: प्रेशर ब्रीथिंग ऑक्सिजन मास्क किरण वायुयान हेतु एमके - I और एमके - II (सामान्य) तथा एचपीटी-32 वायुयान हेतु एमके - I और एमके - II (संशोधित)

Pressure Breathing Oxygen Mask MK–I & MK–II (Regular) for Kiran Aircraft & MK–I & MK–II (Modified) for HPT–32 Aircraft

यह घोषित किया जाता है कि **रक्षा जीव अभियांत्रिकी तथा चिकित्सा इलेक्ट्रोनिकी प्रयोगशाला (डेबेल)**, डी आर डी ओ, बेंगलूरु-560 093, द्वारा **अभिकल्पित** एवं **विकसित** तथा **मेसर्स मुरली इंजिनीरिंग और प्रेस मेटल्स**, सं. 145, 11 मेन, 12 क्रोस, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु- 560 003, द्वारा उत्पादित **"प्रेशर ब्रीथिंग ऑक्सिजन मास्क किरण वायुयान हेतु एमके- I और एमके- II (सामान्य) तथा एचपीटी-32 वायुयान हेतु एमके- I और एमके- II (संशोधित)"**, को संदर्भ सं. एरो/आरडी-124/109/2, दिनांक 13 नवंबर 1981 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 351 जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-351/6आर, दिनांक 17 जून 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था और संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-351/संशोधन-1, दिनांक 16 मई 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

*This is to state that the **"Pressure Breathing Oxygen Mask MK–I & MK–II (Regular) for Kiran Aircraft and MK–I & MK–II (Modified) for HPT–32 Aircraft"**, designed and developed by **Defence Bio–Engineering and Electro Medical Laboratory (DEBEL)**, DRDO, Bengaluru 560 093, and manufactured by **M/s Murali Engineering and Press Metals,** No. 145, 11th Main, 12th Cross, Malleswaram, Bengaluru – 560 003, was issued with Type Approval No.: 351 vide Ref. No.: AERO/RD–124/109/2, dated: 13th November 1981. Further renewed vide Ref. No. CEMILAC / 5070/TA – 351 /6R, dated: 17th June 2011 and addendum issued with vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-351/Amend-1, dated: 16th May 2013 with validity up to 30th June 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **31 अक्तूबर 2016** से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा **30 अक्तूबर 2021** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (वायुयान)**, सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. **31st October 2016** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **30th October 2021** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Aircraft)**, CEMILAC, Bengaluru – 560 037, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. एरो/आरडी-124/109/2, दिनांक 13 नवंबर 1981 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: AERO/RD –124/109/2, dated: 13th November 1981 is amended as stated herewith.

" [अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC),** Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 351/7R
दिनांक/Date : 10 *January 2017*
फैक्स सं./*Fax No:* 080-25230856

पी जयपाल / **P.JAYAPAL**
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)

10 Jan 2017

10/1/2017